



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/ATY-333/JH/12/2022-APCR-RU-IV  
NCST/DEV-1308/JH/12/2023-ESDW-RU-IV

दिनांक : 18.12.2024

सेवा में,

- 1 श्री सुरेन्द्र परहीया  
पुत्र श्री लक्ष्मण परहिया  
ग्राम-चोरहट, थाना-रामगढ़  
चोरहट, पलामू झारखंड - 822110  
मोबाइल: 8603837589
- 2 श्री विनय सिंह और अन्य  
ग्राम सभा, चिल्होखुर्द प्रखंडछत्तरपुर -,  
जिला - पलामू झारखंड  
मोबाइल: 6203787718

विषय : अनुसूचित जनजाति व्यक्ति पर गैर अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों द्वारा शारीरिक हमला करने, जातिगत गाली गलोच करने एवं पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किए जाने के बारे में श्री सुरेन्द्र परहीया जिला पलामू झारखंड का अभ्यावेदन

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि डॉ आशा लकडा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **27.12.2024 समय 12:00** Noon राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हों।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)  
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer  
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

PS to Hon'ble Member (Dr. A.C.)  
✓ nic for uploading